UPKS010038682025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कौशाम्बी।

उपस्थितः–जे0पी0 यादव (एच0जे0एस0)–UP6551

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–161/2025

आभा देवी उम्र लगभग 40 वर्ष पत्नी सुशील यादव निवासिनी ग्राम उमरवल, थाना पिपरी, जनपद कौशाम्बी। .....पुनरीक्षणकर्ती।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार।
2. विवेक कुमार उम्र 45 वर्ष पुत्र राजाराम
3. समला देवी उम्र 43 वर्ष पत्नी विवेक कुमार
4. प्रियांशु उर्फ गुलशन उम्र 21 वर्ष पुत्र विवेक कुमार निवासीगण ग्राम उमरवल, थाना पिपरी, जनपद कौशाम्बी।

.....विपक्षीगण।

निगरानी अन्तर्गत धारा–438/440 बी.एन.एस.एस.
थाना–पिपरी, जनपद कौशाम्बी।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या–154/2025 आभा देवी बनाम विवेक कुमार आदि, थाना पिपरी, जनपद कौशाम्बी के मामलें में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 28.08.2025 से क्षुब्ध होकर पुनरीक्षणकर्ती द्वारा दायर किया गया है।

2. उक्त आलोच्य आदेश जिन परिस्थितियों में पारित किया गया, उसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिनी आभादेवी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. दिनांक 05.08.2025 को अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुये दिनांक 28.08.2025 को खारिज किया गया। इस प्रकार उक्त तिथि को प्रश्नगत आदेश विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा पारित किया गया।

3. मैनें पुनरीक्षणकर्ती के विद्वान् अधिवक्ता, विपक्षी संख्या–1 राज्य की ओर विद्वान् जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा विपक्षी सं0–2 लगायत 4 के विद्वान् अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

4. पुनरीक्षणकर्ती के विद्वान् अधिवक्ता ने पुनरीक्षण में वर्णित आधारों के परिप्रेक्ष्य में तर्क देते हुए कहा है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत् आदेश अतार्किक, असंगत एवं तथ्यों के विपरीत है। उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से

आरोपीगण के विरूद्ध संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रथमदृष्टया प्रमाणित होते हुए भी मात्र इस आशय से उसका प्रार्थना पत्र मात्र इंजरी रिपोर्ट न होने के कारण को आधार बनाते हुए निरस्त कर दिया गया है एवं घटना को अस्वाभाविक, अविश्वसनीय व संदिग्ध प्रतीत होने को आधार बनाया गया है। अवर न्यायालय द्वारा ठीक ढंग से पत्रावली का अवलोकन नहीं किया गया, पत्रावली में दर्शाये गये तथ्य आरोपीगणों द्वारा घर में घुसकर सामूहिक छेड़खानी एवं मारपीट जैसी घटना को अनदेखा किया गया है, जबकि यह सत्य घटना है। उसकी सामूहिक छेड़खानी की शिकायत हुई और थाने में मुकदमा दर्ज न होने के कारण सरकारी अस्पतालों में उसकी चोटों का डाक्टरी मुआयना करने से अस्पताल वालो ने साफ मना कर दिया था और कहा था कि जब तक पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया जायेगा, इस कारण उसकी चोटों का डाक्टरी मुआयना नहीं हो पाया और उसने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं यह नहीं दर्शाया था कि चोटों का डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल से हुआ था। अवर न्यायालय के पत्रावली में मौजूद समस्त प्रपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये, जिसे अवर न्यायालय ने नजरअंदाज करते हुए त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है। अतः पुनरीक्षण स्वीकार करते हुये विद्वान् अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत् आदेश को निरस्त किया जाये।

5. विपक्षी संख्या–1 राज्य की ओर से विद्वान् जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क दिया गया है कि विद्वान् अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश मामले के तथ्यों को देखते हुये विधिक दृष्टि से सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की गयी है।

6. विपक्षी संख्या–2 लगायत 4 के विद्वान् अधिवक्ता ने आपत्ति 9क प्रस्तुत करते हुए तर्क देते हुए कहा है कि विपक्षी सं0–2 ने पुनरीक्षणकर्ती, उसके पति व पुत्र के खिलाफ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अ0सं0–244/2025 धारा–333, 74, 115(2), 352, 351(2) बी0एन0एस0 में थाना पिपरी में घटना दिनांक 15.05.2025 समय 05.30 बजे के सम्बन्ध में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी के समक्ष प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 प्रस्तुत कर न्यायालय के आदेशानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुनरीक्षणकर्ती द्वारा उपरोक्त अ0सं0–244/2025 में दबाव बनाने के लिए फर्जी कहानी के आधार पर दाखिल किया था, जो निरस्त होने योग्य है। पुनरीक्षणकर्ती द्वारा किये गये कथन में गम्भीर चोट व मरणासन्न की स्थिति कहना तथा चोटों के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत न करने से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र एकदम झूॅठा है और अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। पुनरीक्षणकर्ती द्वारा अपने प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र व दाण्डिक पुनरीक्षण में विपक्षी सं0–3 प्रियांशु उर्फ गुलशन को पक्षकार बनाया गया है जबकि प्रियांशु उर्फ गुलशन की जन्मतिथि विद्यालय अभिलेख के अनुसार दिनांक 09.10.2008 है और घटना दिनांक 22.07.2025 की कही जाती है, जिसके अनुसार घटना के समय प्रियांशु उर्फ गुलशन नाबालिग था और नाबालिग का तथ्य छिपाकर मात्र रंजिशन दबाव बनाने के उद्देश्य से दाखिल किया है। पुनरीक्षणकर्ती द्वारा दाखिल पुनरीक्षण झूॅठे एवं मनगढ़न्त तथ्यों पर आधारित है जो पूर्णतः निरस्त किये जाने योग्य है। अतः विद्वान् अवर न्यायालय के

आदेश की पुष्टि करते हुये पुनरीक्षण खारिज की जानी चाहिए।

7. अब यदि प्रश्नगत् आदेश का विश्लेषण पुनरीक्षण याचिका में वर्णित आधारों, पुनरीक्षण पर हुयी बहस एवं विधि के आलोक में करें तो प्रश्नगत् आदेश पारित करते हुये विद्वान् अवर न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में यह वर्णित किया है कि प्रार्थिनी द्वारा दर्शित उपरोक्त प्रस्तुत मामलें में प्रार्थना पत्र के पैरा–3 के अनुसार समलादेवी व प्रियांशु उर्फ गुलशन ने लाठी डण्डा व लात कुल्हाड़ी से मारने पीटने और इतने मारे की प्रार्थिनी मरणासन्न हो गयी, का जिक्र है, जबकि मारपीट के सम्बन्ध में कोई चिकित्सीय रिपोर्ट संलग्न नहीं किया है एवं सम्बन्धित थाने की आख्या मंगायी गयी, थाने की आख्यानुसार दोनों पक्षों में मात्र कहासुनी हुई थी। किसी पक्ष को कोई जाहिरा चोट नहीं आयी थी। आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र में बढ़ा चढ़ाकर आरोप विपक्षीगण के विरूद्ध लगाया जा रहा है। जिससे उक्त प्रकरण संदिग्ध एवं अविश्वसनीय प्रतीत होता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि प्रस्तुत प्रकरण प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्य के प्रकाश में अस्वाभाविक, अविश्वसनीय व संदिग्ध प्रतीत होता है एवं किसी प्रकार संज्ञेय प्रकृति का अपराध कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इसके उपरांत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

8. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 में प्रार्थिनी ने यह कथन किया है कि दिनांक 22.07.2025 को समय शाम 06 बजे प्रार्थिनी अपने घर पर कुछ घरेलू कार्य कर रही थी तभी विपक्षीगण एक राय होकर भद्दी–भद्दी गाली गलौज करते हुए प्रार्थिनी के घर में लाठी डण्डा व कुल्हाड़ी लेकर घुस गये और कहे कि हमारे बारे में अपने पति से शिकायत करती हो, आज तुम्हे जान से मार डालेगें। विवेक कुमार ने प्रार्थनी को वहीं जमीन पर पटक दिया तथा गन्दी हरकते करने लगा और प्रार्थिनी की इज्जत लूटने का पूरा प्रयास किया तथा समला देवी व प्रियांशु उर्फ गुलशन ने लाठी डण्डा व लात कुल्हाड़ी से मारने पीटने लगे और कहे कि इसकी आज वह हालत करो कि यह कहीं मुंह दिखाने लायक न बचे। प्रार्थिनी को इतना मारे कि मरणासन्न हो गयी। परन्तु लाठी, डण्डा, लात व कुल्हाड़ी से मारपीट किये जाने तथा मरणासन्न हो जाने के सम्बन्ध में कोई इंजरी रिपोर्ट प्रार्थिनी की ओर से संलग्न नहीं की गयी है। थाना पिपरी द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 18.08.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा पूर्व में हुई लड़ाई झगड़ा के सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस द्वारा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अन्तर्गत धारा–126/135 बी.एन.एस.एस की कार्यवाही उभयपक्षों के विरूद्ध की गयी थी। चूँकि दोनों पक्षों में मात्र कहासुनी हुई थी, किसी पक्ष को कोई जाहिरा चोट नहीं आयी थी, जिस कारण से थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है। विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति में यह कहा गया है कि विपक्षी सं0–2 ने पुनरीक्षणकर्ती, उसके पति व पुत्र के खिलाफ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अ0सं0–244/2025 धारा–333, 74, 115(2), 352, 351(2) बी0एन0एस0 में थाना पिपरी में दर्ज करायी थी। पुनरीक्षणकर्ती द्वारा उपरोक्त अ0सं0–244/2025 में दबाव बनाने के लिए फर्जी कहानी के आधार पर दाखिल किया था। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थिनी द्वारा

प्रार्थना पत्र में बढ़ा चढ़ाकर आरोप विपक्षीगण के विरूद्ध लगाया जा रहा है। निश्चय् ही प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ती के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. को खारिज किये जाने का जो प्रश्नगत् आदेश विद्वान् अवर न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह विधि एवं तथ्य की दृष्टि से पूर्णतः सही है।

9. अतः विद्वान् अवर न्यायालय के प्रश्नगत् आदेश के अवलोकन से यही दर्शित होता है कि विद्वान् मजिस्ट्रेट ने प्रश्नगत् आदेश पारित करने में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। अतः प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है और पुनरीक्षण निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार पुनरीक्षणकर्ती द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण खारिज किया जाता है तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत् आदेश दिनांकित 28.08.2025 पुष्ट किया जाता है।

पत्रावली निर्णय की एक प्रति के साथ अविलम्ब विद्वान् अवर न्यायालय को प्रेषित की जाये।

दिनांक : 09.06.2026

(जे0पी0यादव)
सत्र न्यायाधीश,
कौशाम्बी।
ID No. UP 6551

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक : 09.06.2026

(जे0पी0यादव)
सत्र न्यायाधीश,
कौशाम्बी।
ID No. UP 6551

Digitally signed by JAI PRAKASH YADAV
Date: 2026.06.10 19:06:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court